न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका।

अर्जेन्ट संख्या–05/2023 धारा 144द0प्र0स0

जगदीश ठाकुर वनाम आरती देवी

आदेश

S. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
31	03/023	अभिलेख उपस्थापित। यह वाद आवेदक के आवेदन पत्र पर यह प्रक्रीया प्रारम्भ किया गया। उक्त भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–	

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा ए0 में	उ0	द0	पू0	प0
भण्डरिया	23/156	42/363	0.13	शकर साव	बच्चु माझी	शनिचर उरांव	सड़क

प्रथम पक्षकार का कहना है कि जगदीश ठाकुर पिता स्व0 शिवनन्दन ठाकुर साकिन जोन्हीखाड़ थाना भण्डरिया ने ग्राम भण्डरिया के ही रामवरण मुण्डा पिता स्व0 बच्चु मुण्डा ग्राम पोस्ट भण्डरिया के निवासी है के द्वारा एक शपथ पत्र के माध्यम से जगदीश ठाकुर पिता स्व0 शिवनन्दन ठाकुर से 0.16 एकड़ जमीन खरीद किया है।

अतः अन्त अनुरोध करते है कि उक्त वाद में प्रथम पक्ष से निषेधाज्ञा उठाया जाए तथा द्वितीय पक्ष पर जारी रखा जाए।

द्वितीय पक्षकार का कहना है कि उक्त भूमि पर दिनांक 24.08.2008 से निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक हक, दखल, कब्जा चला आ रहा है। आज भी द्वितीय पक्ष गण इस भूमि पर दखल–कब्जा है तथा अपना आवसीय मकान भी बना हुआ है। अन्त में अनुरोध करते है कि प्रथम पक्षकार को उक्त भूमि पर जाने से रोका जाय एवं उनके विरूद्ध पारित आदेश को खारिज किया जाय तथा उसे केवल प्रथम पक्ष के सदस्य के विरूद्ध अत्यांकित किया जाए। अतः वाद की समय सीमा समाप्त हो गई है। धारा 144 द0प्र0स0 कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

31-3-23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2023.10.13 13:00:05 +05:30
Location: 10.93.21.244